

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 65/2023

संत गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां शिष्य एवम् गद्दीनशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर, बजरिया मुख्तयारेआम गुलाब चन्द उर्फ गुलाबू मल पुत्र श्री वेद प्रकाश निवासी सिरसा, तह. व जिला सिरसा ।

बनाम

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।



वादी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 18/08/25

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

चक 29 एम.ओ.डी.- ए के खाता संख्या 15 व इसी चक के खाता संख्या 31 में अंकित वादी गुरमीतसिंह पुत्र मघरसिंह जाति जटसिख सा. देह का नाम गुरमीतसिंह पुत्र मघरसिंह जाति जटसिख सा.देह के स्थान पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां शिष्य एवम् गद्दीनशीन शाह सतनाम सिंह जी महाराज जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा ।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे । यह डिक्री आज दिनांक 18/08/25..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

(**उमा मित्तल** आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

